

क्या बैंकरप्सी कोड में नहिति है एनपीए समस्या का समाधान?

सन्दर्भ

पछिले कुछ सालों से शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरा होगा, जब सरकार के किसी न किसी नयामक ने एनपीए की लाइलाज बनती जा रही बीमारी के उपचार के लिये बैंकों को एक नई दवा पलाने की कोशिश न की हो। ऐसा इसलिये है, क्योंकि उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई एनपीए जनति समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। फरि भी सोचने का वषिय यह है कि आखिर क्यों एनपीए की समस्या ज्यों कित्यों बनी हुई है। ऐसे समय में 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' (दवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016) की भूमिका बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। हालाँकि इस संबंध में हम लोगों के सममुख दो यक्ष प्रश्न खड़े हैं, पहला यह कि बैंकरप्सी कोड 2016 क्या है और दूसरा यह कि बैंकरप्सी कोड कैसे एनपीए समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है? इस आलेख में एक-एक करके हम दोनों ही प्रश्नों के उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे साथ ही हम नयामकों द्वारा जारी नए अनुदेशों से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान की भी बात करेंगे।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' ?

- वदिति हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालायामन संहिता संबंधी वधियक पारति किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूरिटीजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालाया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दवालाया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य परताडनाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दवालायामन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।

कैसे एनपीए समस्या का समाधान कर सकता है बैंकरप्सी कोड 2016?

- जब कोई देनदार अपने बैंक को अपनी देनदारियाँ चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो, तब उसके द्वारा लिया गया ऋण नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) कहलाता है। नयामों के हिसाब से जब किसी ऋण राशिका मूलधन या ब्याज़ तय अवधि के 90 दिन के भीतर नहीं आता है तो, उसे एनपीए में डाल दिया जाता है।
- अर्थात् यदि किसी ऋण से बैंक को रटर्न मलिना बंद हो जाता है, तब वह उसके लिये एनपीए या बैड लोन हो जाता है। कई बार ऋणी दवालाया हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परसिम्पत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
- वदिति हो कि बैंकरप्सी कोड 2016 के अनुसार किसी ऋणी के दवालाया होने पर आसानी से उसकी परसिम्पत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- नए कानून के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई कंपनी, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि तब भी वसूली नहीं हो पाती तो, वह फर्म या व्यक्ति स्वयं दवालाया हो जाएगा। नए कानून के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- ऋण न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चित कालखंड में अपने ऋण को चुका दे, अन्यथा स्वयं को दवालाया घोषित करे। यदि कोई ऋणी दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान है।

नयामकों द्वारा जारी नए अनुदेश

- ध्यातव्य है कि हाल ही में सेबी ने कहा है कि ऐसी कंपनियाँ जो 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' के प्रावधानों के तहत परसिम्पत्तियों का अधग्रहण कर रही हैं, उन्हें ओपेन ऑफर दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है, जोकि आमतौर पर भारतीय अधग्रहण नयामों के तहत लागू होती है।
- हाल ही में अध्यादेश के माध्यम से बैंकिंग अधिनियम में संशोधन के द्वारा रज़िर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और रज़िर्व बैंक ने इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुदेश जारी किया है कि 12 ऐसे बैंक खाते, जिनका कुल एनपीए में करीब 25 प्रतिशत का योगदान है, अब बैंकरप्सी कोड के हवाले किये जाते हैं, यानी उन्हें दवालाया घोषित कर उनके परसिम्पत्तियों को बेचने का काम आरम्भ किया जाएगा।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- रज़िर्व बैंक द्वारा एनपीए से भरे पड़े खातों का आगे बढ़कर बैंकरप्सी कोड के हवाले किया जाना यह दिखाता है कि वह इस समस्या के प्रति गम्भीर है,

हालाँकि यह प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान चरित्र को समझने में असफल रहा है। वदित्तिर हो कविर्तमान में इस्पात, वदियुत् और टेक्सटाइल उद्योग मंदी के दौर से गुज़र रहा है। मान लिया जाए कि बैंकरप्सी कोड के तहत इन 12 खातों से संबंध रखने वाली कंपनियों को दवािलिया घोषति कर दिया जाता है और उनकी परसिम्पतियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो, समस्या यह है कि मंदी की आंधी के साथ बह रही इन कमपनियों की परसिम्पतियों को उचित दामों पर खरीदेगा कौन?

- जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश कंपनियों पर उनके संस्थापक प्रमोटर्स का दबदबा बना रहता है। यदि बैंक का ऋण चुकाने में असमर्थ किसी कंपनी के प्रबन्धन का दायित्व बैंकों पर छोड़ा जाता है, तो उन्हें यह भी अधिकार मलिनल चाहिये कि वे संबंधित कमपनी के प्रमोटर्स को कुछ हद तक नयित्तरति कर सके? लेकनि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिज़र्व बैंक का प्रमोटर्स पर कोई नयित्तरण नहीं है। अतः उसके द्वारा जारी अनुदेश उन पर लागू नहीं होता है।

क्या हो आगे का रास्ता?

सरकार को चाहिये वह ऋणी कंपनियों की परसिम्पतियों को बेचने संबंधी मामलों में बैंकों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करे। बैंक बाज़ार को ध्यान में रखते हुए बकिरी योग्य परसिम्पतियों का मूल्य तय कर सकें, क्योंकि कुछ न मलिनसे से यह बेहतर है कि कुछ भी मलि जाए।

- एनपीए की गंभीर होती समस्या को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों के प्रमोटर्स की भूमिका भी नश्चिती करनी चाहिये। यह रेखांकति करना होगा कि प्रमोटर्स को बैंकों द्वारा कसि सीमा तक नयित्तरति कयि जा सकता है?
- वदिति हो कि बैंकरप्सी कोड के तहत 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' द्वारा कसि भी कंपनी को दवािलिया घोषति करने के लयि प्रस्तावति कयि जाएगा और ऋण वसूली में भी ट्रिब्यूनल की अहम् भूमिका होगी। जैसा की हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में कंपनियों डिफाल्टर साबति हो रही हैं ऐसे में इनसे प्रभावी ढंग से नपिटने के लयि ट्रिब्यूनल को और अधिक सशक्त बनाना होगा।

नषिकर्ष

कसि कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज़ चुकता न कयि जाने से न सरिफ बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वत्तितीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खज़ाने से करनी पड़ती है। यह खज़ाना देश की सामूहिक आय, नागरिकों द्वारा दयि गए कर और बचत की राशि से बनता है। अतः यदि एनपीए समस्या का समाधान बैंकरप्सी कोड में नहिती है तो हमें उपरोक्त बातों का ध्यान रखना होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/is-bankruptcy-code-instrumental-npa-problem>

